प्रेस नोट दिनांक 17.07.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2026
थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस की कार्यवाही : सोशल मीडिया में वायरल प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 74/79/115(2)/3(5)/76 बीएनएस में वांछित अभियुक्त सूरज गौंड पुत्र रविशंकर गौंड, निवासी घोर का मुफरीद, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ। बरामद मोबाइल में घटना से संबंधित वीडियो प्राप्त होने तथा अवैध शस्त्र बरामद होने के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं धारा 67 आईटी एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बरामदगी-
01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद एंड्रॉयड मोबाइल ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 रमिल कुमार, म0उ0नि0 सारिका साहू, उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक सहित थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-17.07.2026
थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस की कार्यवाही मु0अ0सं0- 192/2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 109(1) बीएनएस में 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 192/2026, धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 109(1) बीएनएस से संबंधित 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.07.2026 को थाना कोतवाली देहात पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 192/2026 उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोप है कि दिनांक 15.07.2026 को ग्राम पूरे रायजू (मझरेठी) में खेत की मेड़ बांधने के विवाद को लेकर नामजद एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी पक्ष के साथ गाली-गलौज, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई थी। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक राजेश कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विक्रमपुर मोड़ के पास से मुकदमे से संबंधित 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बाल अपचारी के कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त फंटी (लोहे का हथियार), जिसे उसके परिजनों द्वारा थाना पर जमा कराया गया था, को कब्जे पुलिस लेकर सील-सर्वमोहर किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार प्रचलित है।

अपराधिक इतिहास-
बाल किशोर सुधांशू सरोज पुत्र राजेश सरोज निवासी ग्राम पूरे रायजू थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 17 वर्ष ।
1.मु0अ0सं0 192/2026 धारा 191(2),115(2),352,351(2),109(1), बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।
2.मु0अ0सं0 116/2026 धारा –115(2),110,351(2),191(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का विवरण-
01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम-
उ0नि0 राजेश कुमार यादव, का0 मनीष कुमार पाण्डेय, का0 नवीन गौतम, का0 विपिन, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 17.07.2026
थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लीलापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता: मवेशी चोरी व विस्फोटक बरामदगी मामले में गिरोह के 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी गया 01 पड़वा व 04 अदद बम बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे 'सघन धर-पकड़ अभियान' के तहत, थाना लीलापुर पुलिस ने जनपद में सक्रिय मवेशी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कालीदीन का पुरवा जंगल के पास से 04 शातिर अभियुक्तों, 01. सद्दाम पुत्र

सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू, 02. नितीन सरोज, 03. निखिल सरोज, 04. चाँद बाबू उर्फ नानभईया को गिरफ्तार किया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम घूरीपुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार दिनांक 16/17.07.2026 की रात्रि 05-06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके घर के सामने बंधे मवेशियों को एक सफेद रंग की डाला गाड़ी में लादकर चोरी करने का प्रयास किया गया। वादी के जाग जाने पर अभियुक्त एक पड़िया एवं एक पड़वा को लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि दो भैंसों को छोड़ दिया। वादी द्वारा डाला वाहन का पंजीकरण संख्या UP72BT0958 नोट किया जाना बताया गया है । इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर में मु0अ0सं0 227/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 5-6 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री अमला सिंह के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ0नि0 केशव राम मय उ0नि0 सौरभ यादव, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 मनीष कुमार, का0 प्रेमदत्त, रि0का0 विशाल राज द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 227/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 04 अभियुक्तों, 01. सद्दाम पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू नि0 ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष, 02. नितीन सरोज पुत्र शिवलाल सरोज नि0 ग्राम कान का पुरवा बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष, 03. निखिल सरोज पुत्र शिवलाल सरोज नि0 ग्राम कान का पुरवा बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष, 04. चाँद बाबू उर्फ नानभईया पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कालीदीन का पुरवा जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 04 अदद जिन्दा देशी बम तथा चोरी गया एक पड़वा बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में पंजीकृत अभियोग में बरामद साक्ष्यों के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस एवं धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताय कि हम चारो लोगो ने बीती रात को घूरीपुर में एक घर के सामने से रात्रि करीब एक डेढ बजे एक पडिया व एक पडवा को इसी मैजिक में लाद लिए थे तथा दो भैसो को भी लाद रहे थे कि घर वाले जाग गये और सोर मचाने लगे कि हम सभी दोनो भैसो को वही छोड कर उनके पडवा व पडिया को लेकर मौके से भाग गये थे चूंकि गाँव वाले जग गये थे जिस पर हम लोग पकडे जाने के डर से चोरी किये गये पडवा व पडिया को इसी जंगल में बाध कर चले गये थे और आज हम लोग जब जंगल में बाधे स्थान पर आये तो देखे कि एक पडिया नही मिली यही एक पडवा मिला है जिसे हम लोग लाद कर ले ही जा रहे थे कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड़

लिया। हम लोग बम इस लिए रखते है कि कही पकडे जाने की स्थिति में वहा फेक कर भाग सके। लेकिन आज तक ऐसी स्थिति नही आयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सद्दाम पुत्र सफी मोहम्मद उर्फ कल्लू नि0 ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।
2. नितीन सरोज पुत्र शिवलाल सरोज नि0 ग्राम कान का पुरवा बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।
3. निखिल सरोज पुत्र शिवलाल सरोज नि0 ग्राम कान का पुरवा बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।
4. चाँद बाबू उर्फ नानभईया पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम मदनगढ़ बेलहा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

04 अदद जिन्दा देशी बम तथा चोरी गया एक पड़वा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 केशव राम मय उ0नि0 सौरभ यादव, उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा मय हमराह रि0का0 अंकित कुमार, रि0का0 मनीष कुमार, का0 प्रेमदत्त, रि0का0 विशाल राज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 17.07.2026
थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस की कार्यवाही: कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में आग लगाने वाले 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को लिया गया पुलिस अभिरक्षा में -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में, आगजनी की घटना का सफल अनावरण: थाना फतनपुर पुलिस ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में आग लगाने वाले 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

प्रतापगढ़।

दिनांक 14.06.2026 की रात्रि को वादी निवासी ग्राम बीरापुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान NextGen Computer Hub में आग लगने से कम्प्यूटर, थिन क्लाइंट सिस्टम, प्रोजेक्टर एवं मेज-कुर्सियां जलकर नष्ट हो गई। वादी द्वारा घटना को संदिग्ध एवं षड्यंत्रपूर्ण बताते हुए विधिक कार्यवाही की मांग की गई। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 326(छ) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर के नेतृत्व में उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह रि0आ0 सूरज व रि0आ0 हर्ष मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति एवं तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 326(छ) बीएनएस से संबंधित 01 विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को प्राथमिक विद्यालय तारडीह के पास से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का विवरण-
01 बाल अपचारी।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सुनील कुमार गुप्ता मय हमराह रि0आ0 सूरज व रि0आ0 हर्ष मिश्रा थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक : 17.07.2026
थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना फतनपुर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 दीपक राजभर द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0न0 19683/21 अभियुक्त सम्बन्धित अ.स. 144A/92 धारा 323/504/506 भादवि थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ संबंधित 01 अभियुक्त 1.रामबहादुर पुत्र नन्दलाल निवासी मोहम्मदपुर थाना फतनपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रामबहादुर पुत्र नन्दलाल निवासी मोहम्मदपुर थाना फतनपुर प्रतापगढ़ उम्र करीब 44 वर्ष।

पुलिस टीम -
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 दीपक राजभर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक- 17.07.2026
थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा “दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट” के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त अभिषेक पटेल को गिरफ्तार किया गया-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत काशीपुर गांव के बाहर स्थित टावर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर, मय हमराह का0 बीरपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 69/64(1) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना संग्रामगढ़ से संबंधित 01 अभिषेक पटेल पुत्र रामविशाल पटेल निवासी ग्राम काशीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत काशीपुर गांव के बाहर स्थित टावर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अभिषेक पटेल पुत्र रामविशाल पटेल निवासी ग्राम काशीपुर थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंशु सिंह सेंगर, मय हमराह का0 बीरपाल सिंह थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।